न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(12)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यू-1093/चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2008 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी-1633/पीबीआर/05.

रामसिंह पुत्र रामलाल
निवासी सांकलखेड़ा कला
तहसील व जिला विदिशा .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष, विदिशा .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, श्री आर.डी. शर्मा व मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण, आवेदक
श्री राजीव शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह रिव्यू म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 18.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने संहिता की धारा 57 के तहत अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक के पिता ग्राम चितोरिया के भूतपूर्व जमींदार थे और ग्राम चितोरिया स्थित भूमि सर्वेनंबर 468, 548 एवं 591 पर वह जमींदारी के जमाने से ही काश्त कर रहे थे, किंतु बाद में यह भूमि अलावा जोत अंकित कर दी गई। अत: उक्त भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16.12.2002 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपीलें क्रमश: कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25.07.2005 के विरूद्ध निगरानी

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 18.08.2008 से प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की गई। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 5 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आवेदक के पिता पूर्व जमींदार थे एवं जमींदार गांव का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इस कारण संबंधित अभिलेख उसके पास होना चाहिए थे। राजस्व अभिलेख राज्य शासन के अभिलेखागार एवं राज्य शासन से संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण में होते हैं। यह अभिमत अभिलेख से दर्शित एक प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है एवं पुनर्विलोकन का आधार है।

(2) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 2 में संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने हेतु आवेदकने आवेदन किया था, किंतु उक्त दस्तावेज आवेदक को प्रदान नहीं किये गये, इस तर्क के विषय में आदेश के पैरा 5 के यह निष्कर्ष कि आवेदक का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता। यह अभिलेख से दर्शित एक प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है। राजस्व अभिलेख अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के अभिलेखागार में रहते हैं, जो उसे प्रदान किये जाना चाहिए थे अथवा स्वयं तलब कर उनका अवलोकन कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

(3) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 3 में अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती होने के आधार अपर हस्तक्षेप न किये जाने का निष्कर्ष निकाला गया है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एवं इस न्यायालय द्वारा भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर किंचित मात्र विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर आधारित न होने से विपर्यस्त (परवर्स) होने से पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था। इस संबंध में 2011 आर.एन. 95 एवं 2003 आर.एन. 195 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमियों के खसरा क्रमांकों के मिलान के विषय में निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है। आवेदक द्वारा मांग किये गये सर्वे क्रमांकों के खसरा क्रमांक बदल गये थे, ऐसी स्थिति में आवेदक आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि सर्वे क्रमांकों का मिलान नहीं हो रहा है। इस न्यायालय द्वारा भी इस प्रश्न पर विचार नहीं हो सका है। इस कारण भी आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

(5) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सूची दस्तावेज के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे कि अधिकार अभिलेख 1968-69, नये व पुराने सर्वे क्रमांकों के प्रमाणित करने हेतु खसरा पांचशाला संवत् 2010 से 2014 जिसमें आवेदक के पिता रामलाल के कब्जा की प्रविष्टि है, खसरा पांचशाला संवत् 2026 से संवत् 2030 जिसमें आवेदक के पिता रामलाल के कब्जा की प्रविष्टि है एवं खसरा पांचशाला संवत् 2031 से 2035 जिसमें आवेदक स्वयं के आधिपत्य की प्रविष्टि है, इन दस्तावेजों पर विचार न हो सकने एवं नयी साक्ष्य की खोज का आधार होने से भी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

(6) पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार न हो सकने के कारण एवं आवेदक द्वारा किये गये तर्कों का विनिश्चयन न हो सकने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है। इस संबंध में 1964 आर.एन. 437, 1973 आर.एन. 188, 1981 आर.एन. 43, 2009 आर.एन. 232 (उच्च न्यायालय) एवं ए.आई.आर. 1973 पंजाब 265 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.08.2008 निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उनके द्वारा मौखिक तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप न कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। अतः उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2008 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा ऐसी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उनके तर्कों की पुष्टि होती हो, इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में पारित तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष भी हैं, जो कि हस्तक्षेप किये जाने योग्य हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

अत: इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप न कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया था, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2008 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन निरस्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर